कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, जयपुर

कार्यालय आदेश

........................विद्यास्थली पब्लिक स्कूल, पृथ्वी राज नगर दुर्गापुरा........................ को हिन्दी माध्यम/अंग्रेजी माध्यम से राजस्थान गैर सरकारी शिक्षण संस्थान मान्यता एवं अनुदान नियम-1993, एवं तत्पश्चात् किये गये संशोधन के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सत्र 2003-04 से उच्च प्राथमिक स्तर की मान्यता उनके आवेदन एवं निरीक्षण दल की अभिशंसा पर दी जाती है।

मान्यता नियमों की पालना न करने अथवा सक्षम अधिकारी द्वारा निरीक्षण के समय विपरीत स्थिति पाये जाने पर संस्था की मान्यता रद्द की जा सकती है।

शर्तें :-

1. कक्षा अनुसार शत प्रतिशत प्रशिक्षित अध्यापक नियुक्त किये जायेंगे।
2. छात्र संख्या निर्धारित मानदण्डानुसार होनी चाहिए।
3. कार्यरत कर्मचारियों को नियमानुसार वेतन भत्ते आदि की सुविधा दी जाये।
4. भवन सुरक्षा प्रमाण-पत्र प्रतिवर्ष सक्षम अधिकारी से प्राप्त कर दिया जाये।
5. 30 सितम्बर के आधार पर प्रत्येक वर्ष नामांकन एवं वित्तीय वर्ष समाप्ति पर आय व्यय विवरण स्थानीय कार्यालय में सांख्यिकी शाखा में प्रस्तुत करें।
6. कक्षानुसार कक्ष की व्यवस्था की जाये।
7. "शिक्षा आपके द्वार" अभियान के तहत शिक्षा से वंचित परिक्षेत्र के बच्चों को आपकी शाला से अनिवार्य रुप से जोड़कर सूची इस कार्यालय में आवश्यक रुप से प्रस्तुत करें।
8. ....

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रा.शि. जयपुर

क्रमांक : जिशिअ/जय/प्रा.शि./सामान्य 5/फा.1165/1430/03 दिनांक 5.7.03.

प्रतिलिपी :- निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है।

1. शिक्षा उपनिदेशक प्रा.शि. (जयपुर वृत्त) जयपुर।
2. सचिव विद्यास्थली पब्लिक स्कूल पृथ्वीराज नगर, महारानी फार्म, दुर्गापुरा।
3. सांख्यिकी शाखा स्थानीय कार्यालय
4. रक्षित पत्रावली

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रा.शि. जयपुर

PRINCIPAL
Vidyasthali Public School
Prithvi Raj Nagar, Maharani Farm
Durgapura, JAIPUR

सचिव
भारतीय सामाजिक विकास समिति
जयपुर (राजस्थान)